



उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि०

29, आई.आई.ई., सहस्त्रधारा रोड़ (आई.टी.पार्क), देहरादून।

फोन- 0135-2607292, 2708100

फैक्स - 0135-2708109 वेबसाइट:- www.siidcul.com

निविदा सूचना

कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि०, 29 आई.आई.ई., सहस्त्रधारा रोड़ (आई.टी.पार्क), देहरादून में एक वर्ष हेतु विभिन्न ब्यवसायिक वाहनो यथा इंडिका, इंडिगो, इनोवा, जाइलो, स्कार्पियो होंडा अमेज (नॉन एसी० व ए०सी०) आदि दर अनुबन्ध आधार पर आवश्यकता है। इच्छुक वाहन स्वामी/फर्म, जिनका पंजीयन सर्विस टैक्स के अन्तर्गत हो, वे निविदा प्रपत्र रू० 568.00 (वैट सहित) का भुगतान कर दिनांक 09 जनवरी, 2017 अपरान्ह 1:00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। सिडकुल कार्यालय की वेबसाईट www.siidcul.com से भी उक्त निविदा प्रपत्र Download किये जा सकते हैं, जिसके लिये निविदा प्रपत्र के साथ रू० 568.00 (वैट सहित) का बैंक ड्राफ्ट (जो कि दिनांक 09 जनवरी, 2017 अथवा इससे पूर्व का बना हो एवं प्रबन्ध निदेशक सिडकुल के पक्ष मे जारी हो) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निविदा, निविदा बाक्स के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 09 जनवरी, 2017 को अपरान्ह 3:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक
सिडकुल



उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0

29, आई.आई.ई., सहस्त्रधारा रोड़ (आई.टी.पार्क), देहरादून।

फोन- 0135-2607292, 2708100

फैक्स - 0135-2708109 वेबसाइट:- www.siidcul.com

निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 568 (वैट सहित)

अनुबन्ध आधार पर वाहन उपलब्ध कराये जाने के लिये निविदा प्रपत्र

(क) निविदा का आमंत्रण (Invitation to Bid)

कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0, 29 आई.आई.ई., सहस्त्रधारा रोड़ (आई.टी.पार्क), देहरादून में एक वर्ष हेतु विभिन्न व्यवसायिक वाहनो यथा इंडिका, इंडिगो, इनोवा, जाइलो, स्कार्पियो होंडा अमेज (नॉन एसी0 व ए0सी0) आदि दर अनुबन्ध आधार पर आवश्यकता है। इच्छुक वाहन स्वामी/फर्म, जिनका पंजीयन सर्विस टैक्स के अन्तर्गत हो, वे निविदा प्रपत्र रू0 568.00 (वैट सहित) का भुगतान कर दिनांक 09 जनवरी, 2017 तक अपराह्न 1:00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सिडकुल कार्यालय की वेबसाइट www.siidcul.com से भी उक्त निविदा प्रपत्र Download किये जा सकते हैं, जिसके लिये निविदा प्रपत्र के साथ रू0 568.00 (वैट सहित) का बैंक ड्राफ्ट (जो कि दिनांक 09 जनवरी, 2017 या इससे पूर्व का बना हो एवं प्रबन्ध निदेशक सिडकुल के पक्ष में जारी हो) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निविदा, निविदा बाक्स के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 09 जनवरी, 2017 को अपराह्न 3:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) निविदादाता को सामान्य निर्देश :-

1. वाहन का प्रकार

Sl.No .	Type Of Vehcile	Specifications*
1	Indica (AC)	Not older then 2013 Model
2	Indica (Non AC)	” ”
3	Bolero (Diesel) (Non AC)	” ”
4	Indigo (AC)	” ”
5	Indigo (Non AC)	” ”
6	Innova (Top Model VX)	” ”
7	Innova (AC)	” ”
8	Innova (Non AC)	” ”
9	Scorpio (AC)	” ”
10	Scorpio (Non AC)	” ”
11	Xylo (AC)	” ”
12	Xylo (Non AC)	” ”
13	Honda Amaze(AC)	” ”
14	Swift Dezire (AC)	” ”

2. निविदा मूल्य

- क) प्रविष्टि में संशोधन, यदि कोई हो, को काट कर पुनः लिखकर पूर्ण हस्ताक्षर करके किया जा सकेगा। उपलेखन मान्य नहीं होगा।
- ख) निविदा मूल्य में सभी प्रकार के शुल्क/टैक्स/लेवी आदि जो सेवाओं पर देय होते हैं, सम्मिलित माने जाएंगे।
- ग) सेवा कर पृथक से देय होगा, जिसे पृथक से दर्शाया जाएगा।
- घ) प्रस्तुत निविदा मूल्य पूरे अनुबन्ध की अवधि हेतु मानी जाएगी एवं इसमें किसी भी कारण से संशोधन नहीं किया जाएगा।
- ङ) निविदा मूल्य भारतीय रुपये में प्रस्तुत किया जाएगा।

3. प्रत्येक निविदादाता केवल एक निविदा प्रस्तुत करेगा, एक से अधिक निविदा प्रस्तुत किये जाने पर उसकी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. निविदा की वैधता

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर निविदा खोलने की तिथि के 90 दिनों हेतु वैध मानी जाएंगी

5. निविदा का मूल्यांकन

(क) विभाग उन सभी निविदाओं का मूल्यांकन करेगा, जो इंगित शर्तों को पूरा करते हों तथा तकनीकी रूप से सफल घोषित किये गये हों एवं :-

- (अ) यथास्थान हस्ताक्षरित हों।
- (ब) निविदा की शर्तों एवं विशिष्टताओं को पूरा करते हों।
- (स) निविदा मूल्य (यदि वेबसाईट से डाउनलोड किये गये हों) तथा EMD का वांछित ड्राफ्ट संलग्न हो।

(ख) निविदा उपरोक्त पैरा-1 में अंकित सभी वाहनों हेतु पृथक – पृथक मूल्यांकित किया जाएगा।

(ग) जिस निविदादाता फर्म द्वारा इण्डिका कार हेतु न्यूनतम मासिक दर पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा डाली जायेगी उसी फर्म को वरीयता देते हुये अन्य वाहनो हेतु अन्य फर्मों द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर पर नेगोशियेशन किया जायगा। यदि इण्डिका के न्यूनतम दर वाली फर्म द्वारा अन्य फर्मों से अन्य वाहनो हेतु देय न्यूनतम दर के अनुसार वाहन उपलब्ध कराये जाने पर सहमति दी जाती है, तो सभी वाहन न्यूनतम दर पर उसी फर्म से अनुबन्धित किये जायेंगे। यदि सम्बन्धित फर्म इस शर्त पर अपनी सहमति नहीं देती है तो अन्य वाहन अलग-अलग फर्म से न्यूनतम दर के आधार पर ही अनुबन्धित किये जायेंगे। उक्त शर्त मासिक तथा दैनिक आधार पर लिये जाने वाले वाहनों की दरों हेतु लागू होगी।

(घ) निविदा मूल्य में ईंधन सहित व बिना ईंधन की दरे पृथक-पृथक दर्शायी जानी वांछित होगी।

(ङ) सेवाकर को निविदा के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

6. संविदा की स्वीकृति

- 6.1 निविदा की शर्तों के आधार पर न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाएगी एवं उसके साथ संविदा की जाएगी।
 - 6.2 प्रबन्ध निदेशक निविदा की स्वीकृति के पूर्व बिना कोई कारण बताये एक या अधिक निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।
 - 6.3 सफल निविदादाता को एक नान ज्यूडिशियल स्टांप रु0 100/- में अनुबन्ध करना होगा। निविदा प्रपत्र अनुबन्ध का हिस्सा होगा। अनुबन्ध करते समय रु0 30,000/- की निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee) बैंक ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी। EMD को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। निष्पादन गारंटी के रूप में बैंक ड्राफ्ट की वैधता 18 माह होगी।
7. अनुबन्ध की अन्य शर्तें संलग्नक – I के अनुसार हैं।

S.D. (S.L.Semwal)
General Manager

(ग) निविदा की शर्तें:-

1. निर्धारित मासिक किराये की दरों के अतिरिक्त पेट्रोल/डीजल की कीमत का भुगतान प्रति कि०मी० की दरों पर पैरा-10 के अनुसार देय होगा। रात्रि विश्राम चार्ज (रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक) रू० 150.00 प्रति रात्रि पृथक से देय होगा जो सिडकुल द्वारा वहन किया जायेगा।
2. आमंत्रित निविदा के क्रमांक 08 पर अंकित वाहनों का मॉडल वर्ष, 2013 से पूर्व का होने पर उनको अनुबन्धित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. यदि फर्म का कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो अनुबन्ध की समय सीमा आपसी सहमति से पूर्व अनुबन्धित दरों पर बढ़ाये जाने के लिये विचार किया जा सकता है।
4. निविदा के साथ रू० 15,000/- (रू० पंद्रह हजार मात्र) की धरोहर धनराशि जमा की जानी अनिवार्य है, जो कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि०, के पक्ष में एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में देय होगी।
5. अनुबन्ध अवधि में चालक/वाहन उपलब्ध न होने की दशा में फर्म के बिल से रू० 1,000.00 प्रति दिन की दर से कटौती की जायेगी।
6. वाहन की मरम्मत/सर्विसिंग आदि के लिये माह में एक दिवस (रविवार अथवा कार्यालय अवकाश) का अवकाश अनुमन्य होगा किन्तु विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु अवकाश के दिनों में भी मासिक आधार पर लिये गये वाहनों को बुलाया जा सकता है, जिसके लिये निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध करना आवश्यक होगा।
7. वाहन की उत्तराखण्ड से बाहर भी आवश्यकता होगी जिसके लिये फर्म को लिखित सहमति देनी होगी। प्रदेश से बाहर की यात्राओं के लिये परमिट एवं रोड़ टैक्स का भुगतान अलग से मूल रसीद उपलब्ध कराये जाने पर दिया जायेगा।
8. वाहन की मरम्मत, बीमा, चालान, दुर्घटना क्लेम तथा चालक का वेतन आदि के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/कम्पनी स्वामी की होगी तथा वाहन अन्दर एवं बाहर से पूर्ण स्वच्छ रखना होगा। वाहन में सीट कवर, तौलिया आदि रखना अनिवार्य होगा।
9. अधिकारी के कार्यालय से बाहर यात्रा पर रहने अथवा अवकाश पर रहने की दशा में वाहन चालक सिडकुल के प्रशासनिक अनुभाग में वाहन सहित अपनी उपस्थिति देगा।
10. वाहन को मासिक रूप से योजित किये जाने पर अनुबन्धित दर का मासिक किराया एवं निम्न विवरण के अनुरूप प्रयुक्त ईंधन की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
 - (a) पर्वतीय क्षेत्र में नॉन ए०सी० वाहन चलने पर सूमो या समतुल्य वाहन हेतु ईंधन का प्रति एक लीटर औसत 10 कि०मी० तथा मैदानी क्षेत्र 12 कि०मी० न्यूनतम माना जायेगा तथा ए०सी० वाहन हेतु क्रमशः 09 कि०मी० व 11 कि०मी० न्यूनतम माना जायेगा।
 - (b) नॉन ए०सी० इन्डिका के लिये मैदानी क्षेत्र में ईंधन का प्रति एक लीटर औसत 14 कि०मी० तथा पर्वतीय क्षेत्र में 12 कि०मी० न्यूनतम माना जायेगा तथा ए०सी० वाहन हेतु क्रमशः 13 कि०मी० व 11 कि०मी० न्यूनतम माना जायेगा।
11. फर्म का PAN संख्या एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या होना आवश्यक है, इसके प्रमाण के रूप में स्व प्रमाणित फोटो कॉपी की प्रति उपलब्ध कराये।

Sign of Bidder

12. फर्म के द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं। यदि फर्म सर्विस टैक्स के दायरे में आती है तो सर्विस टैक्स की कटौती वाहन किराये के बिलों से सिडकुल द्वारा की जायेगी।
13. फर्म/निविदादाता द्वारा विगत तीन वर्षों का वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
14. फर्म के द्वारा विगत 03 वर्षों का प्रत्येक वर्ष में कुल रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) से अधिक प्रति वर्ष का Travel से सम्बन्धित कार्य किया गया हो। प्रमाण के रूप में वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 की आयकर रिटर्न की छायाप्रति लगायें, जिसकी विभाग द्वारा जाँच करायी जायेगी।
15. अनुबन्धित वाहन से दिन व रात्रि में कार्य लिया जा सकता है। अतिरिक्त चालक की आवश्यकता होने पर चालक उपलब्ध कराने का दायित्व फर्म/सेवादाता का होगा।
16. वाहन चालक के पास मोबाइल सुविधा होना अनिवार्य है जो 24 घण्टा चालू हालत में रहेगा, जिससे वाहन चालक से सम्पर्क किया जा सके।
17. अनुबन्धित फर्म उपरोक्त शर्तों के साथ-साथ उन्हीं वाहनों को सिडकुल को उपलब्ध करायेगा, जिनका रजिस्ट्रेशन टैक्सी कोटे में होगा तथा जिनका रोड़ टैक्स, फिटनेस एवं बीमा आदि का भुगतान किया गया हो। यदि इनके अभाव में R.T.O द्वारा वाहन का चालान किया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व ट्रैवल एजेन्सी/संचालक/फर्म का होगा।
18. फर्म के नाम अथवा फर्म के स्वामी के नाम कम से कम 05 वाहन पंजीकृत होने अनिवार्य है, जो वर्ष 2013 मॉडल से पुराने न हों।
19. निविदा दो फर्मों द्वारा ज्वाइंट वेंचर में भी डाली जा सकती है तथा दोनों फर्मों का संयुक्त रूप से टर्न ओवर तथा वाहनों की संख्या मान्य होगी।
20. यात्रा के मध्य वाहन के परिचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर फर्म को 01 घण्टे के अन्दर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में उस यात्रा का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा फर्म/सेवादाता के बिल से उतनी धनराशि की कटौती कर ली जायेगी जितनी राशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को यात्रा पूरी करने हेतु करना पड़ा हो।
21. न्यूनतम दरों पर चयनित फर्म यदि एक सप्ताह के अर्न्तगत वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहेगी तो निविदा हेतु दी गयी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
22. वाहन चालक को सेवायें प्रदान करते समय परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित स्वच्छ पोशाक में सेवायें देनी होंगी। सेवा उपलब्ध कराते समय वाहन चालक किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का उपभोग नहीं करेगा तथा अधिकारी को नियत समय पर वाहन सहित उपस्थिति देगा।
23. यदि वाहन चालक द्वारा मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है और इससे सम्बन्धित शिकायत कार्यालय को दी जाती है तो उक्त वाहन की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
24. वाहन चालक के पास वाहन से सम्बन्धित आवश्यक मूल दस्तावेज 24 घण्टे उपलब्ध रहेंगे।
25. निविदादाता को चयनित होने पर अनुबन्ध किये जाने हेतु धनराशि रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर अनुबन्ध हेतु उपलब्ध कराना होगा तथा रू0 30,000.00 की जमानत जमा राशि होगी। EMD को इसमें समायोजित कराया जा सकता है।
26. जिस निविदादाता फर्म द्वारा इण्डिका कार हेतु मासिक न्यूनतम दर पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा डाली जायेगी उसी फर्म को वरियता देते हुये अन्य वाहनों हेतु अन्य फर्मों द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर पर नेगोशियेशन किया जायेगा। यदि इण्डिका के न्यूनतम दर वाली फर्म द्वारा अन्य फर्मों द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर के अनुसार वाहन उपलब्ध कराये जाने पर अपनी सहमति देती है तो सभी वाहन न्यूनतम दर पर उसी फर्म से हायर किये जायेंगे। यदि सम्बन्धित फर्म इस शर्त पर अपनी सहमति नहीं देती है तो अन्य वाहन अलग-अलग फर्म से न्यूनतम दर के आधार पर ही हायर किये जायेंगे। उक्त शर्त मासिक तथा दैनिक आधार पर लिये जाने वाले वाहनों की दरों हेतु लागू होगी।

27. समस्त वाहन घण्टाघर से 05 कि०मी० परिधि के अर्न्तगत ही गौराज में खड़ी करने हेतु दूरी अनुमन्य हो सकेंगी। चालक द्वारा निर्धारित कि०मी० के अतिरिक्त वाहन उपयोग करने पर अतिरिक्त कि०मी० का भुगतान नहीं होगा।
28. फर्म को Financial Bid तथा Technical Bid अलग-अलग लिफाफों में देनी होगी। EMD एवं निष्पादन गारंटी (Performance Gaurntee) हेतु बैंक ड्राफ्ट Technical Bid वाले लिफाफे में संलग्न करनी होगी।
29. आपूर्तिकर्ता फर्म/संचालक द्वारा वाहन की लॉगबुक में प्रत्येक माह वास्तविक कि०मी० के आधार पर बिल तैयार किया जायेगा तथा प्रत्येक दिवस में वास्तविक तय की गई दूरी एवं स्थान को चालक द्वारा ड्यूटी स्लिप में अंकित किया जायेगा तथा इसका सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रतिदिन किया जायेगा।
30. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होंगी।
31. उपरोक्त में से यदि कोई शर्त पूर्ण नहीं होती है तो निविदादाता की वित्तीय दरों सम्बन्धी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
32. निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल को होगा। यदि चयनित निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रबन्ध निदेशक सिडकुल को उक्त निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
33. किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय देहरादून मान्य होगा।
34. मासिक/दैनिक आधार पर केवल उन्हीं वाहनों का चयन किया जायेगा जिनके रजिस्ट्रेशन आदि के प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ टेन्डर के साथ प्रस्तुत की जायेंगी।
35. वाहन किराये के बिलों पर आयकर के नियमों के अनुसार आयकर कटौती की जायेगी।
36. वाहन को किराये पर लिये जाने के उपरान्त किसी भी दशा में वाहन को बदला नहीं जायेगा।

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि०,
देहरादून, उत्तराखण्ड

(वर्ष 2017-18 के लिये वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रपत्र)

निविदा फार्म का मूल्य

रु० 500+13.5% वैट = रु० 568.00

तकनीकी निविदा

1. फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि : 09 जनवरी, 2017, सायं 3:00 बजे तक
2. निविदा खोलने की तिथि : 09 जनवरी, 2017, सायं 3:30 बजे
3. निविदा जमा करने एवं खोलने का स्थान : उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि०, 29 आई.आई.ई., सहस्रधारा रोड (आई.टी. पार्क), देहरादून।
4. निविदा दाता/फर्म का नाम :
5. पिता का नाम :
6. स्थायी निवास तथा पता:.....
7. राज्य वाणिज्य कर पंजीयन संख्या : TIN No.:
8. वाहनों का नाम व उनके रजिस्ट्रेशन नं० (जिनका स्वामित्व निविदादाता/फर्म का हो)

(अ)

वाहन का नाम	रजिस्ट्रेशन न०	मॉडल का वर्ष
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		

(ब) अन्य अनुबन्धित वाहनों का विवरण :-

वाहन का नाम	रजिस्ट्रेशन न०	मॉडल का वर्ष
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		

संबन्धित वाहन स्वामी की फर्म/ निविदादाता के पक्ष में वाहन अनुबन्धित किये जाने का नोटरी से सत्यापित घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

9. पंजीयन प्रमाण पत्र व बीमा फिटनेस की फोटो प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।

10. निविदा फार्म के साथ संलग्न की गयी धरोहर धनराशि का विवरण :

डी०डी०/एफ०डी०आर० संख्या.....दिनांक.....बैंक का नाम.....धनराशि....15000/-

11. PAN.No.....(स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।)

12. Central Excise service Tax Registration No-.....(तदैव)

13. वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की आयकर रिटर्न छायाप्रतियां।

निविदा दाता के हस्ताक्षर :

प्रतिनिधि का नाम :

दूरभाष संख्या

मोबाइल नम्बर.....

14. कुल संलग्नकों की संख्या :-

Signature and Seal of Bidder

वित्तीय निविदा

(पृथक लिफाफे में सील करें)

Sl. No.	Vehicle Type	Model	With out Fuel	With Fuel	With Fuel Rs.	
			Monthly Rate	Monthly Rate For (2500 K.m.)	Daily Rate (upto 250 K.m.)	Daily Rate per K.M. (above 250 K.m.)
1	Indica (AC)					
2	Indica (Non AC)					
3	Bolero (Diesel) (Non AC)					
4	Indigo (AC)					
5	Indigo (Non AC)					
6	Innova (Top Model VX)					
7	Innova (AC)					
8	Innova (Non AC)					
9	Scorpio (AC)					
10	Scorpio (Non AC)					
11	Xylo (AC)					
12	Xylo (Non AC)					
13	Honda Amaze(AC)					
14	Swift Dezire					

* 2013 या बाद के मॉडल ही स्वीकार्य होंगे।

We agree to provide the services of vehicle on hire basis in accordance with the conditions mentioned on bid documents from page no. 4 to 6 as per monthly and daily rate mentioned above.

We hereby certify that we have taken steps to ensure that no person acting for us or on our behalf will engage in bribery.

नोट:- जिस निविदादाता फर्म द्वारा इण्डिका कार हेतु न्यूनतम मासिक दर पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा डाली जायेगी उसी फर्म को वरीयता देते हुये अन्य वाहनो हेतु अन्य फर्मो द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर पर नेगोशियेशन किया जायगा। यदि इण्डिका के न्यूनतम दर वाली फर्म द्वारा अन्य फर्मो से अन्य वाहनो हेतु देय न्यूनतम दर के अनुसार वाहन उपलब्ध कराये जाने पर सहमति दी जाती है तो, सभी वाहन न्यूनतम दर पर उसी फर्म से अनुबन्धित किये जायेगे। यदि सम्बन्धित फर्म इस शर्त पर अपनी सहमति नहीं देती है तो अन्य वाहन अलग-अलग फर्म से न्यूनतम दर के आधार पर ही अनुबन्धित किये जायेंगे। उक्त शर्त मासिक तथा दैनिक आधार पर लिये जाने वाले वाहनो की दरों हेतु लागू होगी।

Signature and Seal of Bidder